Form No.III
फर्द अहमका
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)
अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा
श्री दलेल सिंह राजपूत. बनाम श्री सांवत सिंह राजपूत वगै0
किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट प्र.न. 89 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.04.2018	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम घरटा पटवार हल्का घरटा भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 294 के आराजी सख्यां **1239, 1240, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1921, 1930, 1947, 1966, 2030 कुल किता 12 कुल रकबा 13–01 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थी एंव विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 3 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है जिसका विभाजन व घोषणा बाबत वादपत्र विपक्षी संख्या 03 की और से श्रीमान न्यायालय में पूर्व में ही प्रस्तुतशुदा है। जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 22.05.2018 नियत है। विपक्षीगण संख्या 01, 02 का राजस्व रेकार्ड में अपने हक हिस्से का सही अंकन नही होने से, बिना विभाजन कराये विवादित आराजीयात का जबरन बेचान करने एंव प्रार्थी को अपने हक हिस्से में से बेदखल करने पर आमादा है तथा पक्षकारान के मध्य आये दिन विभाजन को लेकर विवाद होता रहता है। यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का बिना विभाजन कराये अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी सहखातेदारी आराजीयात का बिना विभाजन कराये जबरन अन्तरण अथवा प्रार्थी को मौके से बेदखल कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम घरटा पटवार हल्का घरटा भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 294 के आराजी सख्यां 1239, 1240, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1921, 1930, 1947, **1966, 2030 कुल किता 12 कुल रकबा** 13–01 बीघा भूमि पर राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षी संख्या 01, 02 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पैशी दिनांक तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन/नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 22.05.2018 को पैश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	